न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/95/2016

उनवान

1. छीतरमल पिता चिमना गुर्जर निवासी स्टेशननगर, माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 241/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.3.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम स्टेशननगर में जो पूर्व में ग्राम माण्डल के नाम से ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा था के बैरून हल्के में साबिक आराजी नम्बर 1282 रकबा 13 बिस्वा वादी के पिता चिमना के खातेदारी अधिकार की स्थित थी व है तथा चिमना जी के निधन उपरान्त उक्त आराजियात पर वादी बहैसियत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार कृषक काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। कुछ वर्षो पूर्व तहसील माण्डल का सेटलमेण्ट हुआ। जिसमें वादी की साबिक आराजी नम्बर 1282 रकबा 13 बिस्वा भूमि को सेटलमेण्ट कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से वादी की साबिक आराजी के नये नम्बर 7810 रकबा 13 बिस्वा के बजाय 07 बिस्वा ही अभिलिखित किया गया है । इस प्रकार वादी के खातेदारी की आराजियात में 06 बिस्वा रकबा कम दर्ज किया गया है। जबकि कब्जा व दखल आज भी वादी का 13 बिस्वा पर निरन्तर चला आ रहा है। उक्त सारे तथ्यों की ताईद साबिक एवं पुराने नक्शा ट्रेश से होती है। इस कारण वादी हाल आराजी नम्बर 7810 रकबा 7 बिस्वा में 06 बिस्वा की बढोतरी करा पूर्व रकबा 13 बिस्वा अपने नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित कराने का अधिकारी है।

2. सेटलमेण्ट विभाग का कार्य मात्र पूर्व प्रविष्टियों का दोहरान मात्र करना है, किन्तु सेटलमेण्ट विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने जानबूझकर एवं लापरवाह तरीके से वादी के साबिक आराजी नम्बर 1282 के रकबे में 06 बिस्वा की कमी कर दी, जिसका सेटलमेण्ट विभाग का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसकारण वादी अपने खातेदारी हक अधिकार की साबिक आराजी नम्बर 1282 का नया नम्बर 7810 रकबा 07 बिस्वा बनाया गया है, के रकबे में 06 बिस्वा की बढोतरी कराने का तथा नक्शे में भी पूर्ववत की भॉति तरमीम कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी को हाल आराजी नम्बर 7810 के रकबे में 06 बिस्वा की बढोतरी कर कुलिया 13 बिस्वा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार अभिलिखित कराने हेतु दिनांक 16 जून 2014 को कहा तो उन्होनें कोई माकूल जवाब नहीं दिया व टालमटोल करते रहे इस पर वादी ने एक रजिस्टर्ड नोटिस भी अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 3 जुलाई 2014 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिलाते हुए भी निवेदन किया इसके उपरान्त भी प्रतिवादी ने आज दिनांक तक राजस्व रेकार्ड में हाल आराजी नम्बर 7810 के रकबे में 06 बिस्वा की बढोतरी नहीं की है। वादी की खातेदारी अधिकार की हाल आराजी नम्बर 7810 रकबा 06 बिस्वा कम दर्ज कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी की कभी भी उक्त आराजियात से वादी को बेदखल कर सकता है।

3. अतः बजरिये डिक्री घोषणात्मक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादी के साबिक आराजी नम्बर 1282 रकबा 13 बिस्वा के नये कायम किये गये नम्बर 7810 रकबा 07 बिस्वा के रकबे में 06 बिस्वा की बढोतरी करते हुए कुलिया 13 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शे में भी संशोधन कराया जावे। साथ ही प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी वादी को हाल आराजी नम्बर 7810 के 13 बिस्वा रकबे पर वादी के शांति पूर्वक किये जा रहे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट की खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी नम्बर 1282 रकबा 13 बिस्वा अपीलाण्ट के पिता चिमना के खातेदारी में चली आ रही थी। कालान्तर में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तहसील माण्डल का सेटलमेण्ट हुआ । जिसमें साबिक आराजी के नये नम्बर 7810 कायम किये गये किन्तु रकबा 13 बिस्वा के बजाय 07 बिस्वा अभिलिखत किया गया । जबकि जरीब के अन्तर के कारण नया रकबा 11 बिस्वा बनता है और उक्त 11 बिस्वा पर ही अपीलाण्ट वादी काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार 04 बिस्वा रकबा राजस्व रेकार्ड में कम अभिलिखित किया गया । जबकि मौके पर अपीलाण्ट/वादी 11 बिस्वा पर ही बहैसियत खातेदार कृषक काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड में ही इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के संबंध में ही वाद प्रस्तुत किया गया अर्थात जो कमीशुदा रकबा 04 बिस्वा रकबा दर्ज नहीं हुआ वह अन्य किसी आराजियात में सम्मिलित नहीं हुआ है बल्कि मौके पर विद्यमान होकर अपीलाण्ट/वादी के कब्जेकाश्त में ही चला आ रहा है। जिसका कोई खण्डन किसी प्रकार से रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा अपने वादोत्तर में नहीं किया गया है ऐसी हालत में अव्वल तो विशिष्ट खण्डन के अभाव में उक्त तथ्य स्वीकृति की परिधि में आने से वादी के वाद को इसी स्टेज पर डिक्री कर दिया जाना चाहिये था क्योंकि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की कानूनन आवश्यकता नही रहती है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर यह गलत मत व्यक्त किया कि उक्त कमीशुदा रकबा कौनसी आराजियात में गया इसका कोई स्पष्ट प्रमाण वादी अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है, के आधार पर अपीलाण्ट/वादी के वाद को खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 1009 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय को यह तय नहीं करना था कि उक्त कमीशुदा रकबा 04 बिस्वा कौनसी आराजियात में सम्मिलित किया गया । क्योंकि इस बाबत अपीलाण्ट ने कोई अभिवचन ही अपने वाद में नहीं किये है बल्कि अपीलाण्ट/वादी ने अपने वाद में यह स्पष्ट अंकन किया कि हॉल आराजी नम्बर 7810 रकबा 07 बिस्वा के रकबे में 06 बिस्वा की बढोतरी करते हुए 13 बिस्वा के खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट वादी को प्रदान किये जावे । इस प्रकार कोई किसी प्रकार का अभिवचन अपीलाण्ट/वादी ने उक्त कमीशुदा रकबा अन्य आराजियात सम्मिलित करने के संबंध में नहीं किया है तो फिर इस बाबत साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने की कतई आवश्यकता नहीं रहती है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों से परे जाकर अपीलाण्ट/वादी डिक्री न कर खारिज करने में भारी विधिक भूल की है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा जो वादोत्तर प्रस्तुत किया गया है उसमें भी कोई किसी प्रकार का अंकन उक्त कमीशुदा रकबा अन्य आराजियात में सम्मिलित होने बाबत नहीं किया है बल्कि वादोत्तर से यह अवधारणा प्रबल होती है कि उक्त कमीशुदा रकबा मौके पर मौजूद है किन्तु रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से रह गया । रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी जो कि ऐरिया के लैण्ड होल्डर हैं इन्हें उक्त आराजियात के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है बल्कि जो वादोत्तर प्रस्तुत हुआ है उसमें मात्र 40 वर्षो उपरान्त वाद प्रस्तुत करने का उल्लेख मात्र किया है और यह निर्विवाद है कि इन्द्रा दुरूस्ती व घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा कानूनन निर्धारित नहीं है वैसे भी अपीलाण्ट/वादी ने विधिवत रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी को दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3.7.2014 को रजिस्टर्ड नोटिस दिया जिसका भी कोई समुचित जवाब रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं दिया गया तथा न कोई इन्द्राज दुरूस्ती ही तदनुसार की गई इसी कारण वादी अपीलाण्ट ने यह वाद राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए नक्शे में तरमीम करने के संबंध में प्रस्तुत किया है जो डिक्री होने योग्य होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया है जो विधिसम्मत नही होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण हाजा में न्यायिक प्रकिया का बिल्कुल निर्वहन नहीं किया गया अर्थात अधिनस्थ न्यायालय ने वादोत्तर प्रस्तुत होने के उपरान्त न तो तनकियात कायम की और न साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु पक्षकारान को समुचित अवसर ही प्रदान किया गया । दिनांक 20.11.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त विधिवत अधिनस्थ न्यायालय को तनकियात कायम करनी चाहिये थी तथा तदुपरान्त साक्ष्य आदि हेतु पत्रावली नियत करते हुए प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रक्रिया का निर्वहन न कर भारी विधिक भूल करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का विवचेन/विश्लेषण नहीं किया है। प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती एवं नक्शे में तरमीम का था जो राजस्व रेकार्ड एवं सामान्य गणितीय गणनाा के आधार पर आसानी से निस्तारित किया जा सकता था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर वादी के वचनों का गलत आशय व मत व्यक्त कर वाद को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से खारिज कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.3.2016 को अपास्त कर अपीलाण्ट/वादी का वाद डिक्री किये जाने अथवा पत्रावली को अधिनस्थ न्यायालय में तनकियात कायम कर पुनः पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निस्तारण किये जाने का निवेदन किया ।

10. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में उनके साबिक आराजी नम्बर 1282 रकबा 13 बिस्वा का भू प्रबन्ध के बाद हाल आराजी नम्बर 7810 रकबा 07 बिस्वा बनना बताते हुए कमी रकबे की पूर्ति कर राजस्व नक्शे में इन्द्राज करने का निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है कि उनका कमी रकबा कौनसी आराजी में भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान मिलाया गया है। अपीलार्थी/वादी को अधिनस्थ न्यायालय मे यह तथ्य राजस्व रेकार्ड, दस्तावेज से साबित करना था जो वे साबित करने में असफल रहे है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे अवलोकन किया । अपीलार्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम स्टेशननगर में जो पूर्व में ग्राम माण्डल के नाम से ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा था के बैरून हल्के में साबिक आराजी नम्बर 1282 रकबा 13 बिस्वा वादी के पिता चिमना के खातेदारी अधिकार की स्थित थी व है तथा चिमना जी के निधन उपरान्त उक्त आराजियात पर वादी बहैसियत खातेदार कृषक काबिज हो उपयोग उपभोग करता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चला आ रहा है। कुछ वर्षो पूर्व तहसील माण्डल का सेटलमेण्ट हुआ। जिसमें अपीलाण्ट/वादी की साबिक आराजी नम्बर 1282 रकबा 13 बिस्वा भूमि को सेटलमेण्ट कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से वादी की साबिक आराजी के नये नम्बर 7810 रकबा 13 बिस्वा के बजाय 07 बिस्वा ही अभिलिखित किया गया है । इस प्रकार वादी के खातेदारी की आराजियात में 06 बिस्वा रकबा कम दर्ज किया गया है। जबकि कब्जा व दखल आज भी वादी का 13 बिस्वा पर निरन्तर चला आ रहा है। अपीलाण्ट अनुसार उक्त सारे तथ्यों की ताईद साबिक एवं पुराने नक्शा ट्रेश से होती है।

12. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम माण्डल संवत 2024 से 27 में चमना पिता बरदा गुर्जर सा0 स्टेशन माण्डल के नाम साबिक आराजी नम्बर 1282 का रकबा 13 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार शुदा खसरा संवत 2025 में साबिक आराजी नम्बर 1282 के नवीन आराजी नम्बर 1810 रकबा 07 बिस्वा दर्ज किया गया है। गत भू माप के कॉलम में भूमाप नहीं दर्शाया गया है।

13. अपीलार्थीगण का यह निवेदन है कि वे भू प्रबन्ध से पूर्व साबिक आराजी नम्बर 1282 के जितनी भूमि पर काबिज थे आज भी उतनी ही भूमि पर काबिज है, मौके पर जमीन कम नहीं है मात्र राजस्व रेकार्ड में कम दर्ज की गई है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे प्रकरण में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त तनकियात कायम करते एवं उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर तनकिवाईज विस्तृत निर्णय पारित करते। आवश्यकता होने पर मौके की रिपोर्ट तलब करवाई जानी चाहिये थी। जिससे यह तथ्य साबित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होता कि क्या वास्तव में अपीलार्थी साबिक आराजी के रकबे के मुकाबले वर्तमान आराजी के रकबे पर वर्तमान में मौके पर पूर्ववत काबिज काश्त है । चूंकि मूल वाद में बाद विचारण पक्षकारों के हक हितों का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। जबकि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसरण में अपीलार्थी/वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

14. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है उसके बिन्दु संख्या 2 में यह अंकित किया गया है कि '' भू प्रबन्ध हो जाने के पश्चात 1 माह में यदि काई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करने का प्रावधान है, भू प्रबन्ध होकर रिकार्ड प्राप्त हुए लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, इनते अधिक विलम्ब से वाद प्रस्तुत करने का काई युक्तियुक्त कारण नही बताया है।

15. इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा कानूनन निर्धारित नहीं है। जहॉ तक पेरोकार सरकार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जवाब दावे में यह अंकित करना कि '' भू प्रबन्ध हो जाने के पश्चात 1 माह में यदि काई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करने का प्रावधान है'' तो इस सबंध में तनकियात कायम की जानी चाहिये थी एवं उसका निराकरण बाद विचारण किया जाना चाहिये था।

16. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह तथ्य अपने निर्णय में अंकित किया गया है कि '' गत 13 बिस्वा रकबे मुकाबले नई जरीब से 2 बिस्वा की कमी होने पर 11 बिस्वा बनता है।'' भू प्रबन्ध विभाग को पुराने भू प्रबन्ध संक्रिया के दौरान पुराने इन्द्राज को रिपिट करना होता है। भू प्रबन्ध विभाग को गत भू माप में कमी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 1009 में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर चस्पा होते है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

17. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसरण में अपीलार्थी/वादी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। भू प्रबन्ध विभाग को भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान गत इन्द्राज को ही रिपिट किया जाना होता है। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.3.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वादी के वाद में अभिलिखित कथनों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेजा, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य का अवलोकन कर तनकी कायम करने के उपरान्त गुणावगुण पर सुनकर विस्तृत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.7.19 को उपस्थित रहे।

19. निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा